



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230744
CG-DL-E-26102021-230744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4114]
No. 4114]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4469(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, बिहार राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी – गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन (बी जी पी एल) के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री राम रूप प्रसाद, अपर सचिव (सेवानिवृत्त) श्रम संसाधन विभाग, बिहार प्रशासनिक सेवा, को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए बिहार राज्य में पूर्व में अधिसूचित किये गए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को विमुक्त किया जाता है:

व्यक्ति का नाम एवं पद (1)	क्षेत्राधिकार (2)
1. श्री गोपाल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा सदर, बिहार सरकार	बिहार राज्य में मधेपुरा जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
2. श्री संजय सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णियां जिला, बिहार सरकार	बिहार राज्य में पूर्णियां जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/115/2021-जीपी-II (ई-40030)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

S.O. 4469(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Ram Roop Prasad, Additional Secretary (Retired) Labour Resource Department, Bihar Administrative Service, to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Bihar.

2. Earlier notified following Competent Authority(s) for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Bihar stands de-notified:

Name and Designation of Persons	Areas of Jurisdiction
(1)	(2)
1. Shri Gopal Kumar, Land Reform Deputy Collector, Madhepura Sadar, Government of Bihar.	Areas falling under Madhepura District, State of Bihar.
2. Shri Sanjay Singh, Land Reform Deputy Collector, Purnia District, Government of Bihar.	Areas falling under Purnia District, State of Bihar.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/115/2021-GP-II (E-40030)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.